भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में **"मोडलेर"** के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008 स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में **"मोडलेर"** के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसोदे पर कोई भी आपतिधारक, यदि वे चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, भर्ती नियमो के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनो की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम एच.2) कमरा सं 405 ए स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com मे मेल कर सकते हैं।

23.01.2024

(राम नरेश)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011 -23061843

नई दिल्ली
दिनांक

(राम नरेश)
(RAM NARESH)
अवर सचिव/Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & F.W.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

[भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख ,2023

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल (प्रतिरूप निर्माता) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रतिरूप निर्माता समूह ग के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रतिरूप निर्माता, (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2023 है ।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रतिरूप निर्माता	*01(2023) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29200-92100 रू0)	लागू नहीं।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जारी निदेशों या आदेशों के अनुरूप सामान्य उम्मीदवारों की दशा में चालीस वर्ष तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जातियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक सरकारी सेवकों को छूट) टिप्पण 1: आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी सब-डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
वांछनीयः	लागू नहीं ।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्प कालिक संविदा सहित), जिसके न हो

(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला और शिल्प में डिग्री; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला और शिल्प में डिप्लोमा; तथा किसी ख्यात संगठन में मूर्तियों के रख-रखाव में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित उम्मीदवारों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (I) केंद सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करने वाला; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4(25500-81100 रू0) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा ख. स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु यथा विहित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव धारित करता हो, टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनिुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - **अध्यक्ष;** 2. संबंधित विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य ; 3. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग में उप निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य;	लागू नहीं।

[ए.11018/48/2021 –एमएच.।।]

(राम नरेश)